

लॉस एंड डैमेज फंड

प्रलिस के लिये:

['लॉस एंड डैमेज' \(L&D\) फंड](#), [जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP-27](#), [जलवायु परिवर्तन](#)

मेन्स के लिये:

पर्यावरण प्रदूषण और गरिबत

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

बढ़ते जलवायु संकट के संदर्भ में ['लॉस एंड डैमेज' \(L&D\) फंड](#) तथा अनुकूलन हाल ही में चर्चा में रहा।

लॉस एंड डैमेज फंड क्या है?

परिचय:

- 'लॉस एंड डैमेज' (L&D) फंड एक वित्तीय सहायता तंत्र है जिसे [जलवायु परिवर्तन के उन अपरिवर्तनीय परिणामों का समाधान करने के लिये](#) डिज़ाइन किया गया है जिन्हें अनुकूलन प्रयासों के माध्यम से टाला अथवा कम नहीं किया जा सकता है।
 - अनुकूलन प्रयास [जलवायु परिवर्तन](#) के प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया और जीवित रहने की कला है जिसका उपयोग कर समुदाय एवं देश [जलवायु-संबंधी चुनौतियों से निपटने तथा तैयारी के लिये](#) कारागार विकल्प चुनते हैं।
- इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण [समुदायों, देशों और पारस्थितिक तंत्रों](#) को हुई हानि की पहचान करना है तथा उसकी क्षतिपूर्ति करना है।
 - ये हानियाँ मोद्रक मूल्य से परे हैं तथा मूलतः मानव अधिकारों, कल्याण एवं पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं।

L&D फंड की उत्पत्ति एवं विकास:

- ऐतिहासिक जवाबदेही तथा शुरुआत:
 - 30 वर्षों से समृद्ध देशों से उनके ऐतिहासिक प्रदूषण के प्रतिक्रिया जिम्मेदारी को स्वीकार करने का लगातार आह्वान किया जाता रहा है, जिसने विश्व की औसत [सतह के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ा दिया है](#)।
 - यह ऐतिहासिक प्रदूषण वर्तमान में विश्व भर में विशेषकर सबसे गरीब देशों को गंभीर रूप से क्षति पहुँचा रहा है।
 - COP-19 (2013):
 - वर्ष 2013 में वारसा, पोलैंड में [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय \(United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC\)](#) के लिये [पक्षकारों के 19वें सम्मेलन \(COP-19\)](#) में औपचारिक समझौते के परिणामस्वरूप लॉस एंड डैमेज फंड की [स्थापना हुई](#)।
 - यह कोष विशेष तौर पर उन [आर्थिक रूप से विकासशील देशों](#) को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये स्थापित किया गया था जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली हानि एवं क्षति से प्रभावित थे।
- बाद के विकास और चुनौतियाँ:
 - **COP-25:**
 - COP-19 के बाद L&D के लिये सैंटियागो नेटवर्क COP-25 में स्थापित किया गया था। हालाँकि इस बटु पर देशों ने पहल का समर्थन करने हेतु कोई धनराशि नहीं दी।
 - **COP-26:**
 - ग्लासगो में वर्ष 2021 में आयोजित [COP-26 जलवायु शिखर सम्मेलन](#) का उद्देश्य फंड के संचालन के संबंध में अगले तीन वर्षों में वार्ता को जारी रखना था।
 - **COP-27 (नवंबर 2022):**
 - COP-27 में व्यापक चर्चा के बाद UNFCCC के सदस्य देशों के प्रतिनिधि L&D फंड स्थापित करने पर सहमत हुए। इसके अतिरिक्त यह पता लगाने के लिये एक [ट्रांज़िशनल कमेटी \(TC\)](#) की स्थापना की गई थी कि फंड के तहत नए

फंडिंग तंत्र का संचालन किस प्रकार से होगा।

- TC को सफ़ारिशें तैयार करने का काम सौंपा गया था, जनि पर **COP-28** के दौरान वचिार कथिा जा सके तथा देशों द्वारा संभावति रूप से उन सफ़ारिशों को अपनाया जा सके।
- **TC-4 और TC-5 पर गतरिशध:**
 - **TC-4 की बैठक:**
 - TC-4 की चौथी बैठक में L&D फंड के संचालन पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई।
 - वविाद के प्रमुख बढिुओं में **वशिव बैंक** में फंड की मेज़बानी, **साज़ा कति वभिदति उत्तरदायतिव** (Common But Differentiated Responsibility- CBDR) का मूलभूत सिद्धांत, जलवायु कषतपूरति से संबधति मुद्दे और फंड के लथि सभी वकिसशील देशों की पात्रता शामिल है।
 - **TC-5 की बैठक:**
 - **TC5** की सफ़ारिशों का मसौदा तैयार कर लथिा गया है और COP 28 को भेज दथिा गया है।

लॉस एंड डैमेज फंड के संबंध में कथा चुनौतथिाँ हैं?

- **वकिसति देशों की अनचिछा:**
 - वकिसति देश, वशिष रूप से अमेरिका जैसे देश **फंड के प्राथमकि दाता होने के संबंध में अनचिछुक रहे हैं**। उनका समर्थन स्वैच्छकि है, जो फंड के उद्देश्यों के प्रतति प्रतबिद्धता के वशिष में चतिारै बढाता है।
 - धनी देशों की अपनी स्वयं की प्रतबिद्धताओं को पूरा करने की अनचिछा वैश्वकि जलवायु वार्ता में वशिवास को कम करती है और जलवायु परविर्तन से नपिटने के लथि आवश्यक सहकार की भावना को बाधति करती है।
- **फंड को लेकर अनशिचतिता:**
 - वर्तमान में **L&D फंड के आकार को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं है** और UK एवं ऑस्ट्रेलथिा के दबाव में फंड के आकार को नरिदषिट करने के कसिी भी प्रयास को रद्द कर दथिा गया था।
 - वर्तमान मसौदा कसिी स्पष्ट प्रतबिद्धता या रूपरेखा के बनिा केवल वकिसति देशों को धनराशि उपलब्ध कराने के आग्रह के साथ उन्हें आमंत्रति करता है।
- **कूटनीतिक वधितन और वैश्वकि परणिाम:**
 - वकिसशील राष्ट्र यह मानते हुए असंतोष व्यक्त करते हैं कति उनकी चतिारों और आवश्यकताओं को **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा परयाप्त रूप से संबोधति नहीं कथिा गया है**।
 - यह जलवायु कार्रवाई की राह को जटलि बनाता है और अन्य वैश्वकि मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधति करने के वशिष में संदेह उत्पन्न करता है।
 - तत्काल कूटनीतिक और वशिवास-संबंधी नतीजों से परे L&D फंड की कमी के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। यह जलवायु न्याय के लथि खतरा है और उन **वकिसशील देशों में कमज़ोर समुदायों** की समस्याओं को बढा देता है, जनिहोंने **वैश्वकि उत्तरजन** में न्यूनतम योगदान दथिा है लेकिन जलवायु परविर्तन का खामथिाजा भुगत रहे हैं।
- **जलवायु-परविर्तन-प्रेरति असथरिता के सुरक्षा नहिितार्थ:**
 - जलवायु-परविर्तन-प्रेरति असथरिता के कारण सुरक्षा संबंधी प्रभाव देखे जा सकते हैं क्योककि कमज़ोर देशों में संघर्ष तथा तनाव जैसी स्थति उत्पन्न हो सकती है।
 - इन संघर्षों का सीमा पार प्रभाव सुरक्षा के लथि खतरा उत्पन्न करता है।
 - तात्कालिक परणिामों से परे कमज़ोर समुदायों के लथि समर्थन की अनुपस्थति के कारण भोजन की कमी, व्यक्तथिों के वसिथापन और संघर्ष सहति **मानवीय संकटों में वृद्धा हो सकती है**।
 - यह समुदायों को जलवायु संकट और उसके परणिामों से स्वतंत्र रूप से नपिटने के लथि मज़बूर करता है।

आगे की राह

- **वैश्वकि प्रतबिद्धता:** वकिसति देशों के लथि मज़बूत वत्तितीय प्रतबिद्धता सुनशिचति करते हुए L&D फंड में प्राथमकि दाताओं के रूप में सक्रथि योगदान करने का आग्रह करना।
- **पारदर्शति और संरचना:** फंड के आकार, परचालन दशिा-नरिदेश और आवंटन तंत्र को परभिषति करने, स्पष्टता और जवाबदेही के लथि पारदर्शी चर्चा का समर्थन करना।
- **समावेशी कूटनीति:** खुले राजनयकि संवादों को बढावा देना जो वकिसशील देशों की **चतिारों को संबोधति करते हैं**, प्रभावी जलवायु कार्रवाई और वैश्वकि मुद्दे के समाधान के लथि सहयोग को बढावा देते हैं।
- **सुरक्षा नहिितार्थ:** जलवायु-प्रेरति असथरिता से सुरक्षा नहिितार्थों को सक्रथि रूप से संबोधति करना, मानवीय संकटों से नपिटने के उपायों को लागू करना और कमज़ोर समुदायों का समर्थन करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??/??/??/??/??:

प्रश्न. नवंबर 2021 में ग्लासगो में वशिष के नेताओं के शखिर सम्मेलन में सी.ओ.पी.-26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परविर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरति ग्रडि पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजथि। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह वचिार पहली बार कब दथिा गया था? (2021)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/loss-and-damag-fund>

